



प्रणाली महानिदेशालय  
सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
केन्द्रीय राजस्व भवन इन्द्रप्रस्थ एस्टेट  
नई दिल्ली 110 109

मि.सं. IV(25)/4/2013- प्रणाली

दिनांक: 15.02.2017

सेवा में,

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समस्त 'कंटेंट मैनेजर'

महोदय/ महोदया

विषय:- राजस्व विभाग की वेवसाइट पर द्विभाषी रूप में सामग्री उपलब्ध करने के संबंध में -

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पत्र मि.सं. IV(25)/4/2013- प्रणाली दिनांकित 29.12.2016 (सी.वी.ई.सी वेवसाइट पर प्रकाशित ) एवम् अपर महानिदेशक, प्रणाली एवम् आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चाणक्यपुरी के पत्र मिसिल संख्या-I(29)/22/2015- प्रणाली दिनांक 03.02.2017 के साथ हिंदी प्रभाग का पत्र फा.सं.ई.11011/1/2017- ए.डी. (हिंदी-4) दिनांक 13.01.2017 व अवर सचिव, भारत सरकार का पत्र फा.सं.ए. 11019/19/2008 प्रशा.4 दिनांक 30.01.2017 (सभी पत्रों की प्रति संलग्न है ), का संदर्भ लें।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि वेवसाइट से संबंधित सभी सामग्री द्विभाषी रूप में इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराई जाए।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय  
[Signature]  
15.02  
fr (सी.वी. महापात्रा)  
अपर महानिदेशक (आइसगेट)

प्रतिलिपि:

1. अपर महानिदेशक, प्रणाली एवम् आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होटल सम्राट चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
2. श्री आनंद कुमार, उप निदेशक (राजभाषा) ए.डी (हिन्दी-4) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद , नई दिल्ली



सत्यमेव जयते

प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय  
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क  
होटल सम्राट, चाणक्य पुरी,  
नई दिल्ली-110021

\*  
नरिंह. 2  
JD (NS)

झरेयी जी मिसिल संख्या- 1(29)/22/2015-प्रणाली /337

दिनांक 03.02.2017

सेवा में,

अपर महानिदेशक (आइसगेट)  
प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय  
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क  
नई दिल्ली .

विषय :- राजस्व विभाग की वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में सामग्री उपलब्ध करने के संबंध में -

महोदय,

उपर्युक्त विषय में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पत्र फा. सं. ए 11019/19/2008-प्रशा.-4 दिनांक 30 जनवरी, 2017 के साथ हिंदी प्रभाग का पत्र फा. सं. ई.11011/1/2017-ए. डी. (हिंदी-4) दिनांक 3.01.2017 प्राप्त हुआ है (पत्र की प्रति संलग्न है)।

इस संबंध में आप से अनुरोध है कि वेबसाइट पर सभी सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाई करें तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाई से हिंदी प्रकोष्ठ को अवगत करायें ताकि तत्सम्बन्धी जानकारी राजस्व विभाग को प्रेषित की जा सके।

भवदीया  
प्रिया सिंह  
(प्रिया वी. के. सिंह)  
अपर महानिदेशक

प्रतिलिपि : श्री आनंद कुमार, उपनिदेशक (राजभाषा) ए. डी. (हिंदी-4) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा बोर्ड, नई दिल्ली को आपके पत्र फा. सं. ई.11011/1/2017-ए. डी. (हिंदी-4) दिनांक 3.01.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

फा. सं. ए. 11019/19/2008- प्रशा 4

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 2017

सेवा में,

श्रीमान महानिदेशक,  
मानव संसाधन विकास महानिदेशालय,  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,  
409/8, दीप शीखा बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस,  
नई दिल्ली - 110 008

विषय : राजस्व विभाग की वेबसाइट पर दिभाषी रूप में सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर हिंदी प्रभाग, राजस्व विभाग के पत्र फा.स. ई. 11011/1/2017-ए.डी. (हिंदी-4) दिनांक 13.01.2017 की प्रति आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजने का निदेश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्यवाई से बोर्ड को अवगत कराएं।

संतुष्ट, यथोपरि

*Sanjay K*

*Sanjay K*

*Sanjay K*

*Sanjay K*

भवदीय,

*Sanjay K*

(राजपाल सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 26162673

प्रतिलिपि: महानिदेशक, सिस्टम एवं डेटा मैनेजमेंट, चाणक्यापुरी, नई दिल्ली - 21 आवश्यक कार्यवाई हेतु

144 (41)

SSA)ER  
DIR ACTV

फा. सं. ई.11011/1/2017-ए.डी.(हिन्दी-4)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी, 2017

विषय: राजस्व विभाग की वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में

उपर्युक्त विषय पर कृपया राजभाषा प्रभाग के दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें जिसके तहत सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों तथा नियंत्रणाधीन कार्यालय के प्रमुखों से अनुरोध किया गया था कि वे वेबसाइट पर अपनी सामग्री अद्यतन रूप में द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें तथा की गई कार्रवाई से इस प्रभाग को भी अवगत कराएं। परंतु इस संबंध में अभी तक आपके अनुभाग/कार्यालय से अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

2. जैसा कि उल्लेख किया गया था कि संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक शीघ्र ही माननीय वित्त राज्य मंत्री(राजस्व एवं वित्तीय सेवाएं) की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी जिसमें माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को इस संबंध में अवगत कराया जाना अपेक्षित है। अतः अनुरोध है कि वेबसाइट पर अपनी सामग्री को द्विभाषी करने के लिए प्राथमिक आधार पर कार्रवाई करें तथा तत्संबंधी जानकारी से इस प्रभाग को भी अवगत कराएं।

13/1/17  
(आनंद कुमार)

उप निदेशक(राजभाषा)

राजस्व विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी

राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय